प्रश्न सं. [ क्र. 2078 ]

**परिशिष्ट "अ"**

**अतारांकित प्रश्न क्रमांक-2078**

**द्वारा विधायक श्री राजेन्द्र भारती**

प्रश्नकर्ता द्वारा MP / MLA कोर्ट, ग्वालियर में दायर प्रकरण क्रमांक SCPPS 09/2022 के संदर्भ में जो स्थानान्तरण याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की है उसका क्रमांक CRL NO. 1120/2024 नहीं है अपितु TP (Criminal) NO. 1120/2024 है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण याचिका प्रकरण क्रमांक 1120/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक-पुमु/अअवि/विधि-1 /एस.एल.पी./202 /24/852/2025 दिनांक 03.03.2025 द्वारा एक तीन सदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया था। उपरोक्तानुसार गठित जाँच दल में अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल में पदस्थ मनोज शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थ प्रियदर्शन निरीक्षक एवं राजकुमार दांगी निरीक्षक को सदस्य नियुक्त किया गया था।

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी–4)
मंत्रालय, भोपाल

ADG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट "ब"
अतारांकित प्रश्न क्रमांक-2078
द्वारा विधायक श्री राजेन्द्र भारती

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2025, 28.02.2025 में केवल MP / MLA कोर्ट, ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण क्रमांक 09/2022 के साक्षियों को कथित रूप से धमकाये जाने के संबंध में जाँच हेतु निर्देशित किया गया था। जांचकर्ता अधिकारी किस पद का होगा अथवा जाँच दल का स्वरूप क्या होगा इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया था। अतः एक उप पुलिस अधीक्षक एवं दो निरीक्षकों के तीन सदस्यीय जाँच दल का पुलिस मुख्यालय से गठन किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि उपरोक्तानुसार गठित जाँच दल द्वारा असत्य, अपूर्ण एवं अस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन दिनांक 06.03.2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। बल्कि दिनांक 03.03.2025 के उपरांत मात्र 03 दिवस की निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नियत दिनांक के पूर्व प्रस्तुत करने से समयाभाव रहा था। तदनुसार उक्त प्रतिवेदन में समयाभाव का उल्लेख करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक माह की अवधि में जाँच पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। जाँच के दौरान सभी संबंधित व्यक्तियों के 10 मोबाईल नंबरों के कॉल विवरण प्राप्त कर उनका लोकेशन संबंधी विश्लेषण कर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है तथा संबंधित सर्विस प्रोवायडर्स से प्राप्त मूल कॉल विवरण जाँच प्रतिवेदन के संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। जाँच के दौरान इम्पिरियल रिसोर्ट से संबंधित सी.सी.टी.वी. फूटेज भी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किंतु सुसंगत अवधि पूर्व की होने तथा मात्र 30 दिवस तक की अवधि का बेक अप ही उपलब्ध होने से वांछित अवधि के सी.सी.टी.वी. फूटेज जाँच में उपलब्ध नहीं हो सके। समग्र जाँच उपरांत प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन होकर माननीय न्यायालय के निर्णयों से अधिशासित है।

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी-4)
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner